न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

सएम नं. – 2023/223
दमा नम्बर 63/2023

दर्ज दिनांक–16.06.2023

1. नत्थूराम पुत्र पूर्णमल
2. हरफूल पुत्र पूर्णमल, समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

बनाम

1. गीगाराम पुत्र भोमाराम उर्फ मांगू
2. छोटी देवी पत्नी सागरमल
3. जुगल किशोर पुत्र प्रमेश्वर
4. शंकरलाल पुत्र प्रमेश्वर
5. बिदामी पत्नी प्रमेश्वर
6. दुर्गाराम पुत्र मोहनलाल
7. सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल
8. हरफुल पुत्र मोहनलाल
9. प्रभाती पत्नी मोहनलाल
10. सुमित्रा देवी पुत्री मोहनलाल
11. भंवरी देवी पुत्री मोहनलाल
12. नेमीचन्द पुत्र बलदेवराम
13. छितरमल पुत्र बलदेवाराम
14. राजेश पुत्र बलदेवाराम समस्त जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी चिराना
15. श्रवण पुत्र शैतान जाति माली निवासी बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू
16. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्री आन्नदीलाल सैनी
अनावेदक सं. 1 – श्री किशोर कुमार जांगिड
अनावेदक सं. 2 लगा. 15– एक पक्षीय
अनावेदक सं. 16– पैरो. राज.

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 13.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में नई खाता सं. 523 पुरानी 520 की भूमि खसरा नं. 2292/305 रकबा 0.04 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 31/05/2023 के अनुसार पत्थरगड्डी कायम करवाई जावे।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 2 लगा. 15 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 16 की और से पैरो. राज. उपस्थित। अनावेदक सं. 1 कि और से वकील श्री किशोर कुमार जांगिड उपस्थित हो जवाब प्रा. पत्र निम्नानुसार पेश किया गया।

Scanned with CamScanner

भूमि खसरा नं. 2292/305 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 2294/369 रकबा 0.39 है0 प्राथीगण के म एक पक्षीय निर्णय व डिकी के द्वारा दर्ज हुआ है उक्त आराजी खसरा नं. 305 रकबा 0.43 है0, खसरा 369 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 पूर्व में प्राथीगण व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 15 की मलाती खातेदारी की भूमि थी।प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष दावा प्रस्तुत र एक पक्षीय वाद में निर्णय व डिकी पारित करवा ली जिसकी जानकारी होने के पश्चात् उत्तरदाता ने जस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुझुंनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। भूमि खसरा नं. 2292/305 कबा 0.04 है0 उत्तरदाता के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर उत्तरदाता भौतिक रूप से काबिज है, उक्त भूमि विभाजन में खसरा नं. 2294/369 रकबा 0.39 है0 में पहूँच के लिये रास्ते के लिए छोडी गई है। परन्तु उक्त भूमि को सहवन से प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया है इसलिये उत्तरदाता ने अपील पेश की है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर पत्थरगड्डी के जरिये उत्तरदाता को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर उत्तरदाता का रास्ता बन्द करना चाहता है।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदक द्वारा विरोध करते हुये तथा अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत नकल समर्पण पत्र की पेश की गई है। जिसके तहत खसरा नं. 2292/305 रकबा 0.04 है0 में से 5 मीटर x 20 मीटर = 100 वर्ग मीटर (नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित अनुसार) भूमि को राजहक में समर्पण किया गया है। अब इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा उठाये गये उजर का कोई औचित्य नही रह जाता है। न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में नई खाता सं. 523 पुरानी 520 की भूमि खसरा नं. 2292/305 रकबा 0.04 है0 की सीमाओं पर मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांक 31/05/2023 के अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13/05/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुंनू

Scanned with CamScanner